



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में एनडीपीएस एक्ट के आरोपी राजा को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 16 माह 19 दिन का कारावास व 12000 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2018 में अभियुक्त राजा पुत्र शराफत निवासी नई बस्ती कस्बा बड़ौत थाना बड़ौत जनपद बागपत द्वारा 02 किलो 200 ग्राम गांजा तस्करी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 1008/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 17.02.2026 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी-2 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त राजा को दोषी पाते हुए 16 माह 19 दिन के कारावास व 12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



श्री दिनेश कुमार शर्मा
एडीजीसी जनपद बागपत



मुख्य आरक्षी नीटू कुमार कोर्ट
पैरोकार थाना बड़ौत

@baghatpolice

baghatpolice

Baghat Police



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

आरोपी आबिद को आर्म्स एक्ट में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 06 माह 07 दिन के कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2010 में अभियुक्त आबिद पुत्र जैनु निवासी ग्राम निरमाना थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0 192/2010 धारा 25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 17.02.2026 को मा0 न्यायालय सीजेएम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त आबिद को दोषी पाते हुए 06 माह 07 दिन के कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

@baghatpolice

baghatpolice

Baghat Police



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली खेकडा

दिनांक 17.02.2026

थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0स0 38/26 धारा 4/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

राहुल पुत्र राममेहर निवासी ग्राम सांकरोद थाना खेकडा जिला बागपत उम्र करीब 36 वर्ष

बरामदगी का विवरण:-

- एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री कपिल कुमार थाना खेकडा बागपत ।
- 2-है0का0 86 अजय कुमार थाना खेकडा बागपत ।
- 3-है0का0 634 योगेन्द्र कुमार थाना खेकडा बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकडा

दिनांक 17.02.2026

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 25 पच्चे अवैध देशी शराब यू0पी0 मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 25 पच्चे अवैध देशी शराब यू0पी0 मार्का बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 37/26 धारा 60 उ0प्र0 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आकाश पुत्र डालचन्द निवासी काशीराम कॉलोनी नानू रोड कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत उम्र करीब 20 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- 25 पच्चे अवैध देशी शराब यू0पी0 मार्का

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विकास कुमार थाना खेकडा, बागपत ।
2. है0का0 785 सुनील कुमार थाना खेकडा बागपत ।
3. का0 911 श्यामवीर सिंह थाना खेकडा बागपत ।
4. हो0गा0 667 बिजेन्द्र कुमार थाना खेकडा बागपत ।





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट दिनांक-17.02.2026

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 337/2025 धारा 85/115(2)/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वाँछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 29.12.2025 को थाना दोघट पर वादिया द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अभियुक्तों 1- आशीष (पति) पुत्र रविन्द्र, 2- संजय (जेठ) पुत्र रविन्द्र, 3- रविन्द्र (ससुर) पुत्र रहतु, 4- सुशील पुत्र रहतु, तथा 02 महिला निवासीगण ग्राम धनौरा, थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा विवाह के पश्चात वादिया की पुत्री के साथ दहेज को लेकर मारपीट की जाती थी तथा दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी एवं ₹05 लाख की मांग की जाती थी। अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर



अभियुक्तों द्वारा वादिया की पुत्री की हत्या कर दी गई। इस सन्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 337/2025 धारा 85/115(2)/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 337/2025 धारा 85/115(2)/80(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वाँछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना दोघट पुलिस द्वारा दिनांक 07-02-2026 को एक महिला अभियुक्ता को गिरफ्तार किया जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रविन्द्र पुत्र रहतू निवासी ग्राम धनौरा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 50 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1-उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना दोघट जनपद बागपत

2-है0का0 644 रामटाईगर थाना दोघट जनपद बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 17.02.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 102/26 धारा 70(2)/351(2) बीएनएस व 5G/6 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित दो बाल अपचारी के विरुद्ध की कार्यवाही।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 102/26 धारा 70(2)/351(2) बीएनएस व 5G/6 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित 02 बाल अपचारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही का गई है।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1- निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

2- है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3- है0का0 816 शौकेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

4- का0 467 टिंकू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना दोघट

दिनांक-17.02.2026

थाना दोघट पुलिस ने थाने मु0अ0स0 43/2026 धारा 109(1)/115(2) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद

|

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.02.2026 को थाना दोघट पर वादी श्री विकाश पुत्र विनोद निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.वंश पुत्र मधू 2.गौरव पुत्र रामभगत द्वारा वादी व सचिन पुत्र कालूराम के साथ मारपीट की गयी तथा जान से मारने की नीयत से वंश ने हाथ में लिये तमंचे से फायर किया । जो सचिन के हाथ की उंगली में लग गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0स0 43/2026 धारा 109(1)/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0स0 43/2026 धारा 109(1)/115(2) बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम में वाँछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- अभियोग उपरोक्त में बरामदगी के आधार पर धारा 3/25/27 आयुध अधि0 की बृद्धि की जा चुकी है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वंश पुत्र मधुशुधन निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत उम्र करीब 20 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक खोखा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 ब्रजेश पौनिया थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-का0 951 पिताम्बर कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।

